अध्याय IV

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

4.1 प्रस्तावना

सीबीईसी ने 1996 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व-निर्धारण प्रारंभ किया। स्व-निर्धारण की शुरूआत के साथ, विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा के साथ एक मजबूत अनुपालन जाँच तंत्र के लिए प्रावधान भी किया। चूंकि, अब निर्धारण निर्धारिती का उत्तरदायित्व है, विभाग का मुख्य कार्य कर योग्य उदघोषित मूल्य तथा सेनवेट के क्रेडिट की प्राप्ति एवं दावा किये गए शुल्क की प्रभावशाली दर के अनुसार निर्धारिती किये गए कर शुल्क की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित द्वारा प्रस्तुत किये गए कर विवरणी की संवीक्षा करना है। अक्टूबर 2011 से एसीईएस के माध्यम से रिटर्नों की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी की संवीक्षा हेतु नियमपुस्तक, 2008 के अनुसार प्राप्त किये गए एवं संवीक्षा की गई विवरणियों की संख्या के संबंध में रेंज अधिकारी द्वारा एक मासिक रिपोर्ट डिविजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/उप आयुक्त को प्रस्तुत की जानी है। संवीक्षा दो स्तरों पर की जाती हैं अर्थात एसीईएस द्वारा प्राथमिक संवीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस द्वारा अथवा अन्यथा चिन्हित किये गए रिटर्नों की मानवीय रूप से की जाती है।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा जाँच का उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या विभाग एक दक्ष तथा प्रभावशाली ढंग से निर्धारणों की संवीक्षा कर रहा है।

4.3 लेखापरीक्षा कवरेज

विभाग द्वारा की गई विवरणियों की संवीक्षा की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा ने जाँच हेतु 30 विभिन्न आयुक्तालयों के अन्तर्गत 127 रेंज चयनित किये। लेखापरीक्षा ने वि. व. 13 में की गई विवरणियों की संवीक्षा की नमूना जाँच की। अर्न्तभूत मुद्दों के आधार पर जहाँ अपेक्षित था, हमने वि. व. 11 तथा वि. व. 12 की अवधि के डॉटा को भी शामिल किया।

4.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षित ईकाईयों ने निर्धारिती अभिलेखों की लेखापरीक्षा से ₹ 11.18 करोड़ के राजस्व वाले कुछ अनुपालन संबंधी तथा अन्य मुद्दों का पता चला। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 4.15 करोड़ के राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) तथा ₹ 3.81 करोड़ की वसूली की। मुख्य निष्कर्षों को दर्शाया गया है:

क. प्रांरभिक संवीक्षा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को संबंधित माह से अगले माह/तिमाही की 10वीं तिथि तक मासिक/तिमाही विवरणी, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करनी है। निर्धारितियों द्वारा विवरणियों की फाईलिंग तथा विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा रेंज अधिकारी द्वारा एसीईएस के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा हेतु नियमपुस्तक, 2008 के पैरा 2.1 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार सभी विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा विवरणियों की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर की जानी है।

हमने चयनित रेन्जों में जाँच के दौरान देखी गई प्रारम्भिक संवीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की है।

4.4.1 विवरणियों की प्रस्तुति

हमने देखा कि 2012-13 के दौरान प्राप्ति योग्य 82,204 रिटर्नों में से केवल 73,487 (89 प्रतिशत) विवरणियां चयनित आयुक्तालयों में प्राप्त हुई थीं। प्राप्त हुई कुल विवरणियों में से, 1,835 (दो प्रतिशत) विवरणियां विलम्बित रूप से प्राप्त हुई थीं तथा 8,717 (11 प्रतिशत) विवरणियां प्राप्त नहीं हुई थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा हेतु नियमपुस्तिका, 2008 के पैरा 1.1.1 में गैर-दर्जकर्ता/बन्द-दर्जकर्त्ताकी पहचान को भी प्राथमिक संवीक्षा के एक उद्देश्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तथापि, विभाग ने गैर-दर्जकर्त्ता/बन्द-दर्जकर्त्ता को चिन्हित नहीं किया था। हमने यह भी देखा कि विवरणियों की

विलम्बित फाइलिंग के मामलों में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि बन्द दर्जकर्त्ता/गैर-दर्जकर्त्ता के विरूद्ध कार्यवाही प्रांरभ की गई है।

4.4.2 समीक्षा एवं सुधार

एसीईएस के अन्तर्गत, विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा प्रणाली द्वारा की जाती है तथा विसंगतियों वाली विवरणियों को प्रणाली द्वारा समीक्षा एवं सुधार हेतु चिन्हित किया जाता है। समीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियां निर्धारिती के साथ परामर्श अनुसार प्रमाणीकृत की जानी है तथा प्रणाली में पुन: दर्ज की जानी है।

हमने देखा कि एसीईएस द्वारा समीक्षा एवं सुधार हेतु चिन्हित 32,706 विवरणियों में से, विभाग निर्धारित तीन महीनों में केवल 20,622 (63 प्रतिशत) विवरणियों को ही ठीक कर सका। कुछ मामले दर्शाये गए है:

i) चेन्नै-III, पुडुचेरी तथा सलेम आयुक्तालयों में, विभाग ने समीक्षा तथा सुधार हेतु चिन्हित 198 मामले तीन माह से काफी बाद 5 से 325 दिनों तक के विलम्ब के साथ पूरे किये। उपरोक्त 198 मामलों में से, 103 मामलों में (52 प्रतिशत) समीक्षा एवं सुधार 100 दिनों से अधिक तक लम्बित थे।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने सूचित किया कि विलंब एसीईएस में तकनीकी खराबी के कारण था।

ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी, 2008 की जांच के लिये मैनुअल के पैरा 2.1 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार सभी विवरणियों की प्रारंभिक जांच विवरणी प्राप्त होने की तिथि से तीन महीनों के अंदर की जानी चाहिये। पुडुचेरी आयुक्तालय के पुडुचेरी II डिविजन के अंतर्गत रेंज II बी में, समीक्षा और संशोधन के लिये लंबित विवरणियों की जांच से पता चला कि यदि विवरणियों की जाँच समय से होती तो विभाग संभवत: ₹ 70.25 लाख के अतिरिक्त राजस्व की मांग कर सकता था।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने ₹ 1.90 करोड़ की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014) और ₹ 3.70 करोड़ के लिए एससीएन जारी

किये। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि एक बार प्रारंभिक जांच पूर्ण होने पर समीक्षा और संशोधन की राजस्व की रक्षा के लिये कोई उपयोगिता नहीं है।

समीक्षा और संशोधन की राजस्व की रक्षा के लिये उपयोगिता न होने से संबंधित मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसीईएस में समीक्षा और संशोधन आगामी रिटर्नों की जाँच के लिये शर्तों में से एक है।

iii) त्रिवेन्द्रम आयुक्तालय के त्रिवेन्द्रम डिविजन के अंतर्गत रेंज II में, रेंज अधिकारी ने यह नहीं पहचाना कि मैसर्स एईआरओ रबर कॉरपोरेशन (ईसीसी संख्या एसीज़ेडपीआर6487एमएक्सएम002) ने निर्धारिति से संबंधित न होने वाली गलत ईसीसी संख्या एसीज़ेडपीआर6487एमएक्सएम001 के प्रति ₹ 3.11 लाख का भुगतान किया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने सूचित (दिसम्बर 2014) किया कि निर्धारिति ने सही ईसीसी संख्या में राशि का दोबारा से भुगतान कर दिया था।

iv) त्रिवेन्द्रम आयुक्तालय में त्रिवेन्द्रम डिविजन के अंतर्गत रेंज II में मैसर्स अम्मिनी एनर्जी सिस्टम ने लेखों के गलत शीर्ष के अंतर्गत शुल्क प्रेषित किया था और विभाग ने एसीईएस द्वारा बताये गये असंतुलन को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिति ने देय ब्याज सहित संबंधित शीर्ष में अंतर देकर भुगतान नियमित किया।

4.4.3 जाँच का संचालन

हमने देखा कि चयनित रेंज में प्राप्त 73,487 विवरणियों में से, 57,348 (78 प्रतिशत) विवरणियों की तीन महीनों के अंदर जांच की गई, 8,345 (11 प्रतिशत) विवरणियों की जाँच विलम्ब से की गई और 7,794 (11 प्रतिशत) विवरणियों की जाँच अभी की जानी बाकि है।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि रेंज कार्यालय लंबन कम करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे

हैं और अधिकांश आयुक्तालयों में लंबन समाप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि विवरणियों की एसीइएस में तकनीकी खराबी के करण जाँच नहीं हो सकी।

4.4.4 ब्याज का भुगतान न करना

जब किसी भी उत्पाद शुल्क की वसूली या भुगतान न किया गया हो या कम वसूली या कम भुगतान या गलत वापसी हो तो, कर देने वाला व्यक्ति जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के अंतर्गत निर्धारित है, कर के साथ ऐसी दर जो 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम न हो और छत्तीस प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है, पर ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदायी है।

हमने चयनित आयुक्तालयों के अंतर्गत ईकाईयों में कई उदाहरण देखे जहाँ विलम्ब से फाईल की गई विवरणियों के संबंध में कार्यवाही की जानी थी। 22 ऐसे मामलों में देय ब्याज ₹ 1.12 करोड़ निकला।

जब हमने यह बताया (सितम्बर 2013), आयुक्तालयों ने 13 मामलों में ₹ 4.77 लाख की वसूली की सूचना दी और कहा कि कुछ रेजों ने ब्याज वसूलने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी है। एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है।

भुवनेश्वर II आयुक्तालय में मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर ने 2010-11 में अपनी सहयोगी ईकाईयों को कम मूल्य पर माल बेचा और अनुपूरक बीजक जारी करके 2011-12 में ₹ 408.46 लाख के विभेदक शुल्क का भुगतान किया। यद्यपि, विभेदक शुल्क पर ₹ 106.36 लाख की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया।

हमने यह अगस्त 2014 में बताया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2014) था।

4.4.5 अस्थाई पंजीकरण को स्थायी पंजीकरण में न बदलना

सीबीईसी ने दिनांक 01.07.2013 के अपने पत्र संख्या एफ.सं.201/06/2013-सीएक्स.6 (पीटी) के माध्यम से अस्थाई पंजीकरण के विलम्ब की आवधिक समीक्षा का प्रस्ताव रखा और अस्थाई पंजीकरण के शून्य शेष के लिये उनको

स्थाई पंजीकरण में बदलने के लिये समय सीमा (01 सितम्बर 2013) निर्धारित की।

लेखापरीक्षा ने सलेम आयुक्तालय के अंतर्गत सलेम । डिविजन में देखा कि स्थाई पंजीकरण वाले 605 निर्धारितियों में से केवल एक स्थाई पंजीकरण (सितम्बर 2013) में बदला गया था।

जब हमने यह बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि अधिकतर टेक्सटाईल निर्माता जो विभाग के साथ पंजीकृत हुये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट के बाद पंजीकरण को रद्द कराने के लिये आवेदन करने में विफल रहे। इस संबंध में किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप एक पंजीकरण प्रमाणपत्र स्थाई के रूप में बदला गया और 97 निर्धारितियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिया। बचे हुये 507 मामलों में मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

ख. निर्धारण की विस्तृत समीक्षा:

विस्तृत समीक्षा का उद्देश्य बोर्ड के दिशानिर्देशों में पहचानी गई जोखिम सीमाओं के लिये प्रदर्शित असामान्य पद्धतियों के लिये सही कारण सुनिश्चित करना है। कर विवरणी में प्रस्तुत जानकारी की वैधता स्थापित करने के अलावा, विस्तृत समीक्षा का मुख्य उद्देश्य उत्पादों जो मूल्यांकन, सेनवेट के उपयोग की यर्थाथता आदि से बच गये, के संबंध में देय शुल्क, मूल्यांकन की सत्यता स्थापित करना है।

बोर्ड के दिशानिर्देश में विस्तृत जांच के लिये ईआर1 और ईआर3 के छोटे भाग (सामान्य रूप से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं) के चयन की योजना है।

दोनो, प्रारंभिक और विस्तृत जाँच विवरणी की प्राप्ति की तिथि से तीन महीनों के अंदर पूर्ण की जानी चाहिये। प्रत्येक छह महीने में, उप/सहायक आयुक्त पीएलए से 1 से पांच करोड़ के बीच शुल्क अदा करने वाली ईकाईयों की विवरणियों की समीक्षा करेंगें और अपर/संयुक्त आयुक्त पीएलए से उचित दस्तावेजों के संदर्भ में पांच करोड़ से अधिक शुल्क का भुगतान करने वाली ईकाईयों की विवरणियों की जांच करेंगे।

4.4.6 विस्तृत समीक्षा न करना

हमने देखा कि चयनित आयुक्तालयों में उप/सहायक और अपर/संयुक्त आयुक्त ने कोई विस्तृत समीक्षा नहीं की यद्यपि निर्धारितियों जिन्होंने 2012-13 के दौरान ₹ 1 करोड़ या अधिक के शुल्क का भुगतान किया, की विवरणियां उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि-

क) एसीइएस ने विस्तृत जांच के लिये विवरणियों की कोई सूची तैयार नहीं की।

ख) 2012-13 में प्राप्त 73,487 विवरणियों में से चयनित आयुक्तालयों द्वारा केवल 320 विवरणियों की समीक्षा की गई जो कि कुल प्राप्त विवरणियों का केवल 0.44 प्रतिशत है।

हमने अगस्त 2014 में इसे बताया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

4.5 निर्धारितियों द्वारा अननुपालन

हमने कुछ विवरणियों की, जहाँ विभाग ने विस्तृत समीक्षा की थी और वहाँ भी जहाँ विभाग ने विस्तृत समीक्षा नहीं की थी, समीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता जानने के लिये और राजस्व हानि को कम करने के लिये, समीक्षा की ।

हमने देखा कि कई मामलों में, निर्धारितियों द्वारा स्व निर्धारण में राजस्व निहितार्थ वाली गलतियां थी। निर्धारिती द्वारा गैर अनुपालन का सीईआरए द्वारा उसके बताये जाने तक पता नहीं लग पाया था। इन गलतियों में से कुछ जो विभाग के अनुपालन सत्यापन तंत्र से बच गई, लेकिन निर्धारिती रिटर्नों और अन्य अभिलेखों की हमारी जाँच के दौरान देखी गई, का उदाहरण दिया गया है:

4.5.1 बेचे गये माल का गलत मूल्यांकन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियम, 2000 (उत्पादशुल्क योग्य माल के मूल्य का निर्धारण) के नियम 9 के प्रावधान के साथ पठित नियम 8 में प्रावधान है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा न गया हो लेकिन अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिये संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारिती या

निर्धारिती की ओर से उपयोग किया गया हो, ऐसे माल का उत्पाद शुल्क योग्य मूल्य ऐसे माल के उत्पादन या निर्माण की लागत का 110 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सीमित रूप से उपयोग किये गये माल का मूल्य केवल लागत लेखांकन मानक (सीएएस-4) विधि के अनुसार निर्धारित होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11एबी में शुल्क के लंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान अपेक्षित है।

बैंगलुरू-III आयुक्तालय में मैसर्स एस के स्टील टेक यूनिट II ने स्टॉक अंतरण पर स्व उपयोग के लिये अपनी स्वयं की फैक्ट्री को तैयार माल की निकासी की। इसलिये निर्धारिति सीएएस-4 के अनुसार निर्धारित, उत्पादन की लागत के 110 प्रतिशत पर शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी था, जो कि इस मामले में नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.02 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2013), आयुक्तालय ने ₹ 35.02 लाख की वसूली की सूचना दी।

4.5.2 छूट का गलत लाभ प्राप्त करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4ए के अनुसार, केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल को मूल्य के संदर्भ में उत्पाद शुल्क के लिये प्रभार्य निर्दिष्ट कर सकती है। तब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसा मूल्य ऐसे माल पर घोषित खुदरे बिक्री मूल्य से कटौती की राशि, यदि कोई है, को घटाकर माना जायेगा।

दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना के अनुसार, सभी फुटवियर के लिये खुदरे बिक्री मूल्य में 35 प्रतिशत की कटौती दी गई थीं।

बैंगलुरू-III आयुक्तालय में मैसर्स ब्लाक, द शू स्टोर ने विभिन्न प्रकार के लेदर फुटवियर का उत्पादन किया जिनका मूल्य एमआरपी पर था और मूल्य में 40 प्रतिशत की छूट का लाभ लिया। वि.व. 2012-13 के लिये सभी फुटवियर के लिये उपलब्ध छूट 35 प्रतिशत थी। इसलिये, 5 प्रतिशत की अधिक छूट के

परिणामस्वरूप माल का मूल्यांकन ₹ 75.82 लाख कम हुआ और परिणामस्वरूप सेस सहित ₹ 9.37 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 9.37 लाख की राशि और 2.03 लाख ब्याज का भुगतान किया था।

4.5.3 छूट का गलत लाभ प्राप्त करना

1 मार्च 2003 की अधिसूचना वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 1.5 करोड़ के कुल मूल्य तक घरेलू उपयोग के लिये माल की बिक्री पर, निर्माताओं को लघु उद्योग (एसएसआई) छूट प्रदान करती है, इस शर्त पर कि घरेलू उपयोग के लिये सभी उत्पादशुल्क योग्य माल का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वि.व. में चार करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिये बशर्ते सेनवेट क्रेडिट का लाभ न लिया गया हो।

i) शिलांग आयुक्तालय में मैसर्स अरिहंत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2012-13 के दौरान ₹ 1.50 करोड़ तक के बिक्री मूल्य पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ उठाया। यद्यपि, उसने उपरोक्त उल्लिखित शर्त के उल्लंघन में इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट का भी लाभ उठाया। इसके परिणामस्वरूप छूट का अनियमित लाभ और ₹ 18.54 लाख के शुल्क का गैर-भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि ब्याज सहित शुल्क की वसूली के लिये कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।

ii) पुणे III आयुक्तालय में मैसर्स सुपर मीटर मेनुफेक्चरिंग कंपनी की 2010-11 के दौरान कुल बिक्री ₹ 7.40 करोड़ थी। इसलिये, निर्धारिति वर्ष 2011-12 के लिये एसएसआई छूट के लिये पात्र नहीं था। तथापि, निर्धारिति ने एसएसआई छूट का लाभ लिया और वर्ष 2011-12 के दौरान शुल्क के भुगतान के बिना ₹ 1.50 करोड़ का माल बेचा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.45 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय (दिसम्बर 2014) ने सूचित किया कि निर्धारिती को एससीएन प्रक्रियाधीन था।

4.5.4 शुल्क का गैर-भुगतान/कम भुगतान

हमने 18 मामलों में ₹ 34.20 लाख के शुल्क का गैर-भुगतान/कम भुगतान देखा। विभाग ने 12 मामलों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और ₹ 25.89 लाख वसूल किये। एक मामला उल्लिखित है:

रोहतक आयुक्तालय में मैसर्स इंडोफर्नेस प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2013 के दौरान बेचे गये माल के लिये ₹ 12.49 लाख की राशि के शुल्क का भुगतान नहीं किया।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने निष्कर्षों को स्वीकार करते हुये सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिति ने ₹ 1.19 लाख के ब्याज सहित ₹ 12.45 लाख का भुगतान किया।

4.5.5 अन्य मामले

ऊपर चर्चा किये गये मामले के अलावा, हमने ₹ 7.01 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ/ उपयोग, शुल्क के कम भुगतान से जुड़े 98 अन्य मामले भी देखे। मंत्रालय/विभाग ने 55 मामलों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और ₹ 1.14 करोड़ की वसूली के बारे में सूचित किया।

यद्यपि सीबीईसी की अपेक्षा यह थी कि रिटर्नों की ऑनलाईन स्वचालित जांच शुरू होने से क्षमता बढेगी और विस्तृत जांच के लिये मानव शक्ति मुक्त होगी जो रेंजों का मूलभूत कार्य बन जायेगा, क्षेत्र में वास्विक स्थिती काफी कुछ वांछनीय हैं। निर्धारण की जांच का रेजों के मूलभूत कार्य के रूप में अपने स्थान का दावा करने से पूर्व बहुत कुछ करना आवश्यक है।